

मुकदमा नंबर :- 112/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम इस
01-09-23	<p>प्राधीगण मय वकील श्री गणपतरिठ के उपना पत्र पर प्रापली आज पेयी पर लि गई।</p> <p>प्राधीगण के वकील ने क्वेसन किया की उपना पत्र के तर्कों के संबंध में दोनों पक्षों के मध्य आपस में सुलह से प्रकीर्ण कार: वे आवेदन की कार्यवाही जाती नही रखना चाहते हैं।</p> <p>हमने प्रापली रूपे प्राधीगण के उपना पत्र का अपलोड किया।</p> <p>प्राधिके प्रकरण में विप्राधीगण की तलबी वेना शेष है और प्रकरण प्रारम्भिक स्तर पर विचारार्थ है और प्राधी पक्ष स्वयं उपना पत्र की कार्यवाही जाती रखने को इच्छुक्त नहीं है।</p> <p>लिखाजा प्राधी का उपना पत्र जरिये विशे खारिज किया जाकर प्रकरण में जाती अंतरिम स्वयंसे इनांक 23.08.2023 निरस्त किया जाता है।</p> <p>प्रापली कुसल शुभा घुमर शल वा के संलग्न है।</p>	

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवस

